No. 2/4/2015-E.V(pt.)
Central Water Commission
Establishment V Section

...

Room No.329, Sewa Bhawan,
R.K. Puram, New Delhi-66.

Dated, the 5th October, 2015

Sub: Uploading of RRs of AD-II/SDE of Central Water Engineering(Group B) Service.

Please find enclosed the recruitment rules of AD-II/SDE and to request that the same may please be uploaded in the CWC website urgently.

5/10/15
(Rajiv Sharma)
Section Officer

To
Deputy Director,
SMD, CWC.

05/10/15 Pl[3] upload in R.R in website

J.E

प्रेषक/Despatcher
...........अनु./Sec/निदे/Dte
के.ज.आ. नई दिल्ली/CWC, N.Delhi

SMD अनु/Sec/निदे/Dte.
डा०सं./Dy. No. 1230
दिनांक/Dt. 6/10/15

R.R

रजिस्ट्री सं. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

नई दिल्ली, मार्च 22—मार्च 28, 2009, शनिवार/चैत्र 1—चैत्र 7, 1931
NEW DELHI, MARCH 22—MARCH 28, 2009, SATURDAY/CHAITRA 1—CHAITRA 7, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authority (other than the Administrations of Union Territories)

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 26.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :—

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री राजेन्द्रमल लोढा, जिन्हें पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय अर्थात् राजस्थान उच्च न्यायालय से बाहर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि तक, अपने वेतन के अतिरिक्त, मूल वेतन के 10% दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/9/2008-यू.एस.-I/II]

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 20th February, 2009

G.S.R. 26.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Rajendra Mal Lodha, Judge of the Rajasthan High Court who was appointed as the Chief Justice of Patna High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of 10% of

[illegible] 2009

-8- 4-2

07 'बी' विंग

110001
23073508
da.khan@nic.in

12/11, जामनगर हाउस
नई दिल्ली-110011

दूरभाष सं. 23384513
ईमेल nsspacell@hotmail.com

[सं. 1-6/2007/पीजी/आईएफसी]

वी. मोहनन, अवर सचिव

New Delhi, the 13th March, 2009

G.S.R. 36.—In modification of earlier orders, notifications, the following officers of National Service Scheme a ate office of the Department of Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs an Sports are declared as Appellant y and Central Public Information Officer under Section 5(1) of RTI Act, 2005, as given below :

NATIONAL SERVICE SCHEME

d Designation of the Appellant Authority	Name and Designation of CPIO
a Ali Khan me Adviser Service Scheme (NSS) . 507 'B' Wing hawan i-110001 23073508 amda.khan@nic.in	Dr. Gopalji Deputy Programme Adviser Cell, NSS Room No. 152-154 12/11, Jamnagar House New Delhi-110011 Tel : No. 23384513 E-Mail : nsspacell@hotmail.com

[No. 1-6/2007-PG/IFC]

V. MOHANAN, Under Secy.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2009

सा.का.नि. 37.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा नियम, 1964 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया म्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियंत्रक प्राधिकारी" से केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ख) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति अभिप्रेत है;

(ग) "ड्यूटी पद" से अनुसूची 1 के स्तंभ 5 में विनिर्दिष्ट ड्यूटी पद अभिप्रेत है;

(घ) "श्रेणी" से सेवा की श्रेणी अभिप्रेत है;

(ङ) श्रेणी के संबंध में, "नियमित सेवा" से अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नियमित आधार पर उस श्रेणी में चयन के पश्चात् की गई सेवा की अवधि अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूचियां अभिप्रेत हैं;

(छ) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजातियों" का वही अर्थ होगा जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में उनका है;

(ज) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित केन्द्रीय जल इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा अभिप्रेत है ।

3. केन्द्रीय जल इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा का गठन :—(1) केन्द्रीय जल इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा में नियमित आधार पर
अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट ड्यूटी पद धारण करने वाले अधिकारी होंगे ।

(2) ड्यूटी पदों को समूह 'ख' पदों के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

4. श्रेणी, प्राधिकृत संख्या और उसका पुनर्विलोकन :—(1) श्रेणी में सम्मिलित ड्यूटी पद, उनकी संख्या और उनका वेतनमान
वह होगा, जो अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट है ।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से,—

(क) पदों की संख्या से संशोधन अनुसूची-1 के स्तंभ (3) का, समय-समय पर संशोधन कर सकेगी, और

(ख) किसी ड्यूटी पद को सेवा में सम्मिलित कर सकेगी या उससे अपवर्जित कर सकेगी ।

(3) नियंत्रक प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से और सादृश्य श्रेणी में निरंतर नियमित सेवा पर विचार करने के पश्चात् उन
अधिकारियों की ज्येष्ठता निश्चित कर सकेगी जिनके पद उपनियम (2) के खंड (ख) के अधीन सेवा में सम्मिलित किए गए हैं ।

5. सेवा पर नियुक्ति:— (1) अनुसूची-1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पर नियुक्त कोई व्यक्ति, अपनी नियुक्ति की तारीख से,
विनिर्दिष्ट श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक पद निम्नलिखित रीति में भरा जाएगा, अर्थात् :—

(क) ऐसी श्रेणी के और ऐसी न्यूनतम अर्हता रखने वाले जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट हैं, वाले अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा;

(ख) ऐसी प्रोन्नति चयन द्वारा की जाएगी;

(ग) ऐसी प्रोन्नति अनुसूची-3 में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर की जाएगी, और

(घ) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया
जा रहा हो वहां, उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी
अर्हक या पात्रता सेवा, ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम, न हो और
न उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर
श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है ।

6. प्रतिनियुक्ति द्वारा पदों का भरा जाना :—(1) नियम 5 में किसी बात के होते हुए भी जहां नियंत्रक प्राधिकारी की यह राय है
कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और केन्द्रीय सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
करके तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा सेवा के पदों को भर सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हताएं, अनुभव और पात्रता सेवा वह होगी जो अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट है ।

7. ज्येष्ठता :—(1) सेवा के अधिकारियों की सापेक्ष ज्येष्ठता का अवधारण डिजाइन सहायक की श्रेणी में नियुक्त अधिकारियों को इन
नियमों के प्रारंभ की तारीख को संबोधित पूर्व समाभोजित श्रेणी में परस्पर ज्येष्ठता प्रतिधारण करने वाले अधिकारियों सहित सहायक इंजीनियर या
अतिरिक्त सहायक निदेशक की श्रेणी में नियुक्त किए गए कनिष्ठतम अधिकारी से ठीक नीचे रखकर किया जाएगा :

परन्तु जहां किसी ऐसे सदस्य को ज्येष्ठता उक्त तारीख को विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नहीं की गई है वहां वह ज्येष्ठता नियतन को
शासित करने वाले उन नियमों के आधार पर अवधारित की जाएगी, जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा के सदस्यों को लागू थे ।

(2) नियम (5) के अधीन नियुक्त सदस्यों से भिन्न सेवा में नियुक्त सदस्यों की ज्येष्ठता इस संबंध में, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय
पर जारी किए गए साधारण अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

8. परिवीक्षा :—(1) नियम 5 के अधीन नियुक्त सेवा का प्रत्येक सदस्य, दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा :

परन्तु नियंत्रक प्राधिकारी, इस निमित्त समय-समय पर उनके द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि को विस्तारित
कर सकेगा :

परन्तु यह और कि ऐसा परिवीक्षा की अवधि के विस्तारण का कोई विनिश्चय, परिवीक्षा की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के ठीक
पश्चात् या उसके पश्चात् आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा तथा संबद्ध अधिकारी को ऐसा करने के कारणों के साथ लिखित रूप में उस
अवधि के भीतर सूचित किया जाएगा ।

(2) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, नियंत्रण प्राधिकारी की यह राय है कि अधिकारी सेवा में बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं है तो वह अधिकारी को, यथास्थिति, उन्मोचित कर सकेगा या अधिकारी को उस पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा जो उसने सेवा में अपनी नियुक्ति से पूर्व धारित किया हुआ था ।

(3) सेवा के सदस्यों की परिवीक्षा से संबंधित अन्य बातें, जो इन नियमों के अंतर्गत नहीं आती हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों द्वारा शासित होंगी ।

9. भारत के किसी भाग में सेवा करने का दायित्व और सेवा की अन्य शर्तें :—(1) सेवा का प्रत्येक सदस्य, भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए दायी होगा ।

(2) सेवा का प्रत्येक सदस्य, यदि ऐसा अपेक्षित हो, चार वर्ष से अन्यून अवधि के लिए, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण में बिताई गई अवधि भी है, भारत की रक्षा से संबंधित कोई रक्षा सेवा या पद पर सेवा करने के लिए दायी होगा :

परन्तु सेवा के किसी सदस्य से —

(क) सेवा में नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्;

(ख) चालीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात्,

रक्षा सेवा में सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

10. निरर्हता :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

11. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

12. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची-I

[नियम 2(ग), 3(1), 4(1) और 5(1) देखें]

सेवा में सम्मिलित पद का नाम, उनकी संख्या और वेतनमान

क्र. सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वेतनमान	श्रेणी में सम्मिलित ड्यूटी पदों के ब्यौरे	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	सहायक निदेशक श्रेणी-II/उप-प्रभागीय इंजीनियर	354*(2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	6500-200-10500 रु. (पूर्व पुनरीक्षित)	(i) सहायक निदेशक श्रेणी-II/ उप-प्रभागीय इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग (जिसके अंतर्गत डिजायन सहायक भी हैं);	339
				(ii) सहायक इंजीनियर/अतिरिक्त सहायक निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग;	7
				(iii) अतिरिक्त सहायक निदेशक, जल संसाधन मंत्रालय;	1
				(iv) सहायक निदेशक श्रेणी-II, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ।	7
				कुल	354

अनुसूची-2

[नियम 5(2) (क) देखें]

प्रोन्नति द्वारा भर्ती के लिए केन्द्रीय जल इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा में सहायक निदेशक श्रेणी-II/उप-प्रभागीय इंजीनियर के पद पर नियुक्ति के लिए प्रोन्नति का क्षेत्र और चयन के क्षेत्र में, निचली श्रेणी में न्यूनतम अर्हक सेवा निम्नानुसार होगी :–

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती की पद्धति	श्रेणी जिससे चयन/प्रोन्नति की जानी है और चयन/प्रोन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सहायक निदेशक श्रेणी-II/उप-प्रभागीय इंजीनियर	प्रोन्नति द्वारा	(1) चालीस प्रतिशत पद 500-8000 रु. (पूर्व पुनरीक्षित) के वेतनमान में ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) और कनिष्ठ इंजीनियर (यांत्रिकी) में से भरे जाएंगे जिन्होंने, उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल या यांत्रिकी इंजीनियरी में स्नातक की उपाधि है ; और (2) साठ प्रतिशत पद 5000-8000 रु. (पूर्व पुनरीक्षित) के वेतनमान में ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) और कनिष्ठ इंजीनियर (यांत्रिकी) में से भरे जाएंगे जिन्होंने, उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सिविल या यांत्रिकी इंजीनियरी का डिप्लोमा है । **टिप्पणी :** यदि किसी विशिष्ट प्रवर्ग से, उस प्रवर्ग से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले आवंटित पदों को भरे जाने के लिए किसी विशिष्ट प्रवर्ग में पात्र अधिकारियों अर्थात् डिग्री धारक या डिप्लोमा धारक उपयुक्त संस्था में उपलब्ध नहीं है तो नियंत्रक प्राधिकारी सभी या किन्हीं पदों को अन्य प्रवर्ग से पात्र उपयुक्त अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा इस शर्त के अधीन रहते हुए भर सकेगा कि किसी भी प्रवर्ग के अधिकारियों में से भरे जाने वाले पदों का संपूर्ण अनुपात जहां तक हो सके उपर विहित किए गए प्रतिशत के अनुसार बनाए रखा जा सके ।

अनुसूची-3

[नियम 5(ख) और 5(2) (ग) देखें]

प्रोन्नति और पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(1)	(2)
1. मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग	—अध्यक्ष
2. निदेशक या उप सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	—सदस्य
3. सीधय या निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग	—सदस्य